कार्यालय अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमंडल, सहार

अल्पकालीन द्वितीय निलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष– 2026–2027 के लिए निम्नलिखित सैरातों की निलामी अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार के कार्यालय कक्ष में दिनांक 14.08.2026 को 12:30 बजे अपराहन में खुली डाक द्वारा की जाएगी। दिनांक 14.08.2026 को निलामी की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं होने पर अगली तिथि 19.08.2026 एवं 24.08.2026 को 12:30 बजे अपराहन में खुली डाक द्वारा की जाएगी। खुली डाक में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति नियम एवं शर्तों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते है। बंदोबस्ती में भाग लेने वाले व्यक्ति को संबंधित सैरातों को विभाग द्वारा निर्धारित अग्रधन की राशि डाक में शामिल होने से पूर्व अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार के कार्यालय में एक मुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। न्युनतम से कम राशि होने पर अगली निर्धारित तिथि को बन्दोबस्ती की जाएगी। बन्दोबस्ती सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति के पश्चात ही प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाएगा।

क्र0 सं0	निलामी स्थल का ब्यौरा	निलामी की तिथि	विभाग द्वारा न्यून्तम राशि (रू0)	अग्रधन की राशि विभाग द्वारा न्यून्तम राशि का 10%
1	हरपुर प्रशाखा RPC	14.08.2026	26440.00	2645.00
2	हरपुर प्रशाखा LPC	14.08.2026	4675.00	470.00
3	एकवारी राजवाहा H/R	14.08.2026	14315.00	1435.00
4	कोईलवर राजवाहा धौरी फॉल	14.08.2026	605.00	60.00
5	शंकरटोला (अवगिला) फॉल	14.08.2026	106705.00	10670.00

विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु वेबसाईट wrd.bihar.gov.in or https://State.bihar.gov.in /prdbihar पर देखा जा सकता हैं।

ह0/–
अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार

निलामी की नियम एवं शर्ते

01. निलामी बोलने वाले व्यक्ति को प्रत्येक ग्रुप के लिए अलग– अलग जमानत की राशि जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति एवं वापसी निलामी स्थल पर होगी।

02 जमानत की राशि जमा करने के उपरांत ही कोई भी व्यक्ति डाक बोलने का अधिकारी होगा। सर्वोच्च डाक बोलने वाले व्यक्ति को छोड़कर शेष सभी का जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। सर्वोच्च डाक बालने वाले व्यक्ति के जमानत की राशि का समायोजन निलामी की राशि जमा करने के समय की जाएगी।

03. सफल व्यक्ति को निलामी कि पूर्ण राशि निलामी के समय ही जमा करनी होगी अन्यथा बोली गई निलामी कि मान्यता नहीं होगी।

04. कार्यपालक अभियंता सोन नहर प्रमंडल, आरा के द्वारा निलामी स्वीकृति के पश्चात ही मनी रसीद निर्गत किया जाएगा।

05. निलामी के बाद किसी भी विवाद के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

06. जिस व्यक्ति को बन्दोबस्ती दी जाएगी उसे इस बात की गारंटी देनी होगी कि नहर संरचनाओं एवं वृक्षों की क्षति न हो। क्षति होने पर उनके मरम्मति पर आनेवाले व्यय की वसूली निलामी लेने वाले व्यक्ति से की जाएगी।

07. निलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की मूल प्रति दिखाना एवं उनकी अभिप्रमाणित छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

ह0/–
अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार

पत्रांक– 162 **सहार** **दिनांक–** 06/08/2026

प्रतिलिपिः– जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को निलामी सूचना उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि हिन्दी एवं अंग्रेजी सामाचार पत्रों में लागातार दो दिन तक प्रकाशन हेतु समर्पित।

06/08/26

अवर प्रमण्डल पदाधिकारी
सोन नहर अवर प्रमण्डल, सहार

06/08/26